प्रेस नोट दिनांकः- 22.05.2021

पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के निर्देशन मे आज दिनांक:- 22.05.2021 को जनपद में अपराधियो के विरूद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः-

- थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त कमर अहमद उर्फ पहलवान पुत्र कुडवा नि0 मौ0 सरायकोना थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को 5970 रु0, सटटा पर्चा गत्ता व एक डाट पेन सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना डिडौली पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त नूर मौहम्मद पुत्र कादिर उर्फ शफीक नि0 सहसपुर अली नग थाना डिडौली जनपद अमरोहा को मय एक अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने व मीट की दुकान खोलने के सम्बन्ध मे अभियुक्त अन्नु अहमद पुत्र अजी मुल्ला नि0 बीलनी थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना मण्डी धनौरा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. राजू पुत्र रामफल सिंह 2. नरेश पुत्र रामफल नि0गण ग्राम अन्हेडा थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा को मय 50 लीटर शराब खाम व एक प्लास्टिक की जरीकैन मे करीब 25 लीटर अपमिश्रित शराब, शराब बनाने के उपकरण व एक टीवीएस स्टार स्पोर्ट मोटरसाइकिल नं0 यु0पी0 23 जेड 9885 सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना रजबपुर पुलिस द्वारा बलात्कार करने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मे वांछित अभियुक्त कपिल पुत्र महेन्द्र नि0 ग्राम चांदनगर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा गौवध अधि0 मे वांछित अभियुक्त फुरकान पुत्र जलील नि0 ग्राम व थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को एक अदद नाजायज चाकु सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 19 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना डिडौली पुलिस द्वारा 04 व्यक्ति, थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना मण्डी धनौरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 06 व्यक्ति व थाना रहरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।